3

फार्म सं0 562

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आदेश–पत्रक

नीमा देवी
–बनाम–
अशोक मंडल वगै0

आदेश पत्रक ता0.............................. देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

जिला ....साहेबगंज...से...तक

केस का प्रकार.............. **विविध वाद** ....सं0............01.........सन् 2021–22.....

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	2	3
09.7.21	यह मामला नीभा देवी, पति–भरत मंडल, सा0–नयाबाजार, चांयपाड़ा, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज के द्वारा प्राप्त आवेदन दिनांक 29.06.2021 के अनुसार उनके पुत्र एवं पुत्रवधू द्वारा भरण पोषण नहीं करने के आधार पर प्रारम्भ किया गया। यह मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– आवेदिका नीमा देवी, पति–भरत मंडल, सा0–नयाबाजार, चायपाड़ा, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज द्वारा दिनांक 29.06.2021 को आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि आवेदिका अपने पति भरत मंडल एवं एक विधवा पुत्री के साथ रहती है। आवेदिका के पुत्र अशोक मंडल, पुत्रवधू पुर्णिमा देवी, पति–अशोक मंडल एवं दूसरी पुत्रवधू रिंकू देवी, पति–स्व0 संतोष मंडल, सभी सा0–नयाबाजार, चांयपाड़ा, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है एवं भरण–पोषण नहीं किया जाता है तथा आवेदिका के पति द्वारा बनाये हुए घर से बेदखल करना चाहते है। आवेदिका के आवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके पुत्र एवं दोनों पुत्रवधू के द्वारा भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है। आवेदिका के पुत्र 1. अशोक मंडल, पिता–भरत मंडल, 2. पुर्णिमा देवी, पति–अशोक मंडल एवं 3. रिंकू देवी, पति–स्व0 संतोष मंडल से कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। अभिलेख दिनांक 30/07/21 को रखें। लेखापित, एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) उपायुक्त, साहेबगंज। (हस्ताक्षर) उपायुक्त, साहेबगंज।	X/20 30.7.21

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.13 14:05:51 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner